"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 147] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2026 — फाल्गुन 29, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18 मार्च 2026

अधिसूचना

F.N. RULE/23/2025-COMTAX SECTION (18).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15–ख की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, दिनांक 01–04–2026 से 31–03–2027 तक की अवधि के लिए, कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है, अर्थात् :–

अनुसूची

अ.क्र.	माल का विवरण	छूट की सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	एविएशन टरबाईन फ्यूल	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. सिंह, उप–सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18 मार्च 2026

F.N. RULE/23/2025-COMTAX SECTION (18) – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना F.N. RULE/23/2025-COMTAX SECTION (18), दिनांक 18–03–2026 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. सिंह, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 18th March 2026

NOTIFICATION

F.N. RULE/23/2025-COMTAX SECTION (18).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-B of Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax to the extent specified in column (3), for the period from 01-04-2026 to 31-03-2027, namely :-

SCHEDULE

S. No.	Description of Goods	Extent of exemption
(1)	(2)	(3)
1.	Aviation Turbine Fuel	Partly, so as to reduce the rate of tax to 4 percent.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S.K. SINGH, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.